[2022] 3 एस. सी. आर. 336

रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर.

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2022 का सं. 2953)

20 अप्रैल, 2022

[इंदिरा बनर्जी और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 482- की बचत करना

उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ-याचिकाकर्ता संख्या 1 और पूर्व के बीच राजनीतिक शत्रुता। एम. एल. ए.-शिकायत यू/एस. 365/511 आई. पी. सी. और एस. 3 (1) (डी. एच. ए.) 1989 के अधिनियम के प्रत्यर्थी सं. 2 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ

सत्र न्यायाधीश ने उनके खिलाफ आरोपों का संज्ञान लिया

याचिकाकर्ताओं और जारी किए गए समन-आवेदन यू/एस। 482 याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ संज्ञान आदेश की मांग करते हुए-उच्च न्यायालय ने याचिका याचिकाकर्ताओं के मामले को खारिज कर दिया कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उत्पन्न दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है-आयोजितः राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई शिकायत अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आधार नहीं है-पहले के आपराधिक मामले को बंद करने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से कथित कृत्यों द्वारा प्रतिशोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है-शिकायत में आरोप

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध है, जिसका निर्णय मुकदमे में करना होगा-यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 482 , न्यायालय असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों को छोड़कर किसी शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच नहीं करता है जहां यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि

आरोप तुच्छ होते हैं या किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं-शिकायत का मामला ऐसा नहीं है जिसे आगे की सुनवाई के बिना शुरुआत में ही रद्द कर दिया जाना चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने आवेदन यू/एस को सही ढंग से खारिज कर दिया। 482 दंड संहिता, 1860s। 365 / 511- अनुसूचित जातियाँ और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989। 3 (1) (धा)।

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1.1 यद्यपि, धारा 482 Cr.P.C के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने की है।

कार्यवाही व्यापक है, इस तरह की शक्ति का प्रयोग असाधारण मामलों में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकारिता का उपयोग पूछने के लिए नहीं किया जाना है। में।

असाधारण मामले, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए,

उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। हालाँकि, हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब शिकायत में किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया हो, या स्पष्ट रूप से तुच्छ, परेशान करने वाला या दमनकारी हो। [पैरा 27,29] [347-जी-एच; 348-बी-सी]

1.2 यह तथ्य कि शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई हो सकती है, अपने आप में रद्द करने के लिए आधार नहीं है

आपराधिक कार्यवाही। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि एक आपराधिक अभियोजन, यदि अन्यथा उचित है और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, के कारण दूषित नहीं होता है

पहले सूचना देने वाले की दुर्भावना या राजनीतिक प्रतिशोध या शिकायतकर्ता। यदि शक्ति का उपयोग किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो द्वेष द्वारा सक्रियण या उत्प्रेरण विधिसम्मत नहीं है। [पैरा 30] [348-सी-डी]

19/2018 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूर्व विधायक द्वारा नहीं, बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज किया गया है, जो जाति द्वारा एक धोबी है, जो एक अनुसूचित जाति है। यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध नहीं हैं। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसकी जाति के संदर्भ में गंदी भाषा में गाली दी थी। 2018 के शिकायत मामले में आरोप, यदि स्थापित हो जाते हैं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 3 (1) की संबंधित उप-धाराओं के तहत दोषसिद्धि हो सकती है। [पैरा 24] [347-बी-सी] 2.2 प्रत्यर्थी संख्या 2 पूर्व विधायक का कर्मचारी होने के नाते, यह संभव है कि शिकायत मामला No.19/2018 याचिकाकर्ता संख्या 1 के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हो। हालाँकि, चूंकि शिकायत मामले में आरोप एक अपराध बनाते हैं 3. अत्याचार अधिनियम की धारा 200 Cr.P.C के तहत अदालत में बयान दर्ज होने पर शिकायत को शुरुआत में ही समाप्त करना उचित नहीं होगा। 2010 की पूर्व शिकायत No.17 को बंद करने के बाद, शिकायत में कथित कृत्यों द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिशोध की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बाहर निकलें। शुरू में ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से अन्याय हो सकता है। [पैरा 25] [347-डी-ई] [2022] 3 एस. सी. आर.

2.3 आपराधिक कार्यवाही को केवल Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके शुरू में ही समाप्त नहीं किया जा सकता है।

क्योंकि शिकायत एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज कराई गई है। यह संभव है कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर झूठी शिकायत दर्ज की गई हो। हालाँकि, इस तरह की संभावना आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराएगी। की ओर से प्रतिशोध की संभावना पहले के आपराधिक मामले को बंद करने के बाद याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाए गए कृत्यों से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिकायत में लगाए गए आरोप

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध है। चाहे वह आरोप सही या गलत हैं, इन पर निर्णय लेना होगा

मुकदमा। आई. डी. 1. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच नहीं करता है, सिवाय असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों के जहां यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। शिकायत मामला No.19/2018 ऐसा मामला नहीं है जिसे आगे की सुनवाई के बिना शुरुआत में ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C.The के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। [पैरा 39,40] [354-डी-एच]

शांताबेन भूराभाई भूरिया बनाम। आनंद अठाभाई

चौधरी और ओआरएस। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 974; मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 781: [2008] 9 एस. सी. आर. 943; श्रीमती धनलक्ष्मी बनाम। आर. प्रसन्ना कुमार

ए. आई. आर 1990 एस. सी 494: [1989] पूरक। एससीआर 165;

शीओनानंदन पासवान बनाम। अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 288: [1987] 1 एस. सी. आर. 702; पंजाब राज्य बनाम। गुरदियाल सिंह (1980) 2 एस. सी. सी. 471 [1980] 1 एस. सी. आर. 1071; दिल्ली नगर निगम बनाम। राम किशन रोहतगी और अन्य। (1983) 1 एससीसी 1: [1983] 1 एस. सी. आर. 884; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। गौरीशेट्टी महेश (2010) 6 एस. सी. सी. 588; परमजीत बत्रा बनाम। उत्तराखंड राज्य (2013) 11 एससीसी

673 ; माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम। संभाजीराव

चंदरोजीराव आंग्रे (1988) 1 एस. सी. सी. 692 [1988] 2 एस. सी. आर.

930 ; इंदर मोहन गोस्वामी बनाम। उत्तरांचल राज्य

(2007) 12 एससीसी 1: [2007] 10 एससीआर 847; कपिल अग्रवाल और अन्य। वी. संजय शर्मा और अन्य (2021) 5 एस. सी. सी. 524; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और ओआरएस।

1992 आपूर्तिकर्ता रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(1) एससीसी 335: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259; हमीदा बनाम

राशिद @Rasheed और अन्य (2008) 1 SCC 474 : [2007] 5 एस. सी. आर. 937 संदर्भित है। -

मामला कानून संदर्भ

[2008] 9 एससीआर 943

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1989] पूरक। एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1987] 1 एससीआर 702

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[1980] 1 एससीआर 1071

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[1983] 1 एससीआर 884

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

(2010) 6 एस. सी. सी. 588

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

(2013) 11 एस. सी. सी. 673

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1988] 2 एससीआर 930

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

[2007] 10 एससीआर 847

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

(2021) 5 एस. सी. सी. 524

पै

रा 36

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[2007] 5 एससीआर 937

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश

याचिका (सीआरएल) 2022 का No.2953।

उच्च न्यायालय के 07.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के आवेदन यू/एस 482 No.27904 में इलाहाबाद में न्यायपालिका की धारा।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. राजीव शर्मा, प्रशांत शर्मा

रघुवीर शर्मा, विपिन कुमार शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, सुश्री दीक्षा शर्मा, अखिलेश मिश्रा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्वेताश्व अग्रवाल, संचित गर्ग

निकुंज जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. यह विशेष अनुमति याचिका अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है।

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 मार्च 2022 को पारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए 2021 का मामला No.29704 है, जिसके तहत [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता ने हाथरस के चौथे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 17 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 511 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 3 (1) (डी. एच. ए.) के साथ पठित धारा 365 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान, जिसे इसके बाद "अत्याचार अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने यह तर्क देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं कि यह मामला एक क्लासिक है। याचिकाकर्ताओं के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का उदाहरण, जिन्हें

राजनीतिक शत्रुता के कारण एक झूठे आपराधिक मामले में उलझा हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अत्याचार अधिनियम के तहत दूसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की अदालत में शिकायत, जिसने इन कार्यवाही को जन्म दिया है, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 के राजनीतिक विरोधी, पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल के कहने पर दायर की गई है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और उन्होंने कहा कि देवेंद्र अग्रवाल ने कई बार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

3. इससे पहले, 1 जनवरी 2010 को या उसके आसपास, श्रीमती. प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी मीरा देवी ने जिले के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

मजिस्ट्रेट, महामाया नगर जिला (अब हाथरस जिला) ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता संख्या 1 के भाइयों ने 2010 के एमएलसी चुनाव में जबरन अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए अपहरण कर लिया था। उक्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को उसकी जाति से गाली दी थी, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था।

भाषा। 4. उसी दिन यानी 1 जनवरी 2010 को देवेंद्र अग्रवाल ने प्रतिवादी की रिहाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा था।

5. 2 जनवरी 2010 को, मीरा देवी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, सदाबाद, हाथरस की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया, जो चंदप्पा में स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) पर निर्देश के लिए 2010 की शिकायत संख्या 412 थी। अपने पति के अपहरण की उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन।

6. इसके बाद एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके अनुसार अपराध मामला संख्या 17/2010 शुरू किया गया था। सर्कल द्वारा मामले की जांच की गई थी इंस्पेक्टर सदाबाद, हाथरस। जाँच के बाद, पुलिस ने अंतिम रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर. दर्ज किया।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मामला बंद करने की रिपोर्ट, यह राय देते हुए कि अपहरण की कोई घटना नहीं हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था, और शिकायत राजनीतिक दुश्मनी से दर्ज की गई थी।

7. मीरा देवी ने एक विरोध याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने उनके विरोध को खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया

याचिका. मीरा देवी ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस अदालत के आदेश के अनुसार, सी. बी. सी. आई. डी. द्वारा आगे की जांच की गई। द. जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिनांक 17.10.2018 पर एक अंतिम रिपोर्ट दायर की। मीरा देवी ने विरोध याचिका दायर की। 5 सितंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, अत्याचार अधिनियम, हाथरस के तहत विशेष न्यायाधीश ने मामला संख्या 17/2010 में मीरा देवी द्वारा दायर विरोध याचिका को खारिज कर दिया।

8. फरवरी 2017 में याचिकाकर्ता ने सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था। श्री देवेन्द्र अग्रवाल भी

उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। आरोप है कि 8 फरवरी 2017 को जब याचिकाकर्ता नंबर 1 का बेटा याचिकाकर्ता नंबर 1 के लिए प्रचार कर रहा था, तब देवेंद्र अग्रवाल, जो उस समय सत्तारूढ़ दल के मौजूदा विधायक थे, ने याचिकाकर्ता नंबर 1 के बेटे और उनके समर्थकों पर हमला किया और अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

एफ. आई. आर., देवेंद्र अग्रवाल को अभियुक्त संख्या 1 के रूप में आरोपित करते हुए, जिसके अनुसार देवेंद्र अग्रवाल और अन्य के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला शुरू किया गया था। 10. कहा जाता है कि चूंकि देवेंद्र अग्रवाल सत्तारूढ़ दल के मौजूदा विधायक थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई नहीं की। मृतक पुष्पेंद्र के पिता रामहरि शर्मा ने आपराधिक दुराचार का मामला दर्ज कराया।

देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका No.2739/2017।

11. 26 अक्टूबर 2017 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम के न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।

हाथरस ने आई. डी. 1 की धारा 156 (3) के तहत आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अपने निजी सहायक रानू पंडित के साथ, याचिकाकर्ता नंबर 2 और 6-7 अन्य व्यक्तियों के साथ उसे गंदी भाषा में गाली दी थी और अपने सहयोगियों से उसे कार में खींचने के लिए कहा था जो वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि भीड़ जमा हो गई थी और विरोध किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चंदप्पा पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. को निर्देश देने का अनुरोध किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. उक्त शिकायत में प्रासंगिक अभिकथन निकाले गए हैं।

सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

" 1. आवेदक "धोबी" जाति से है-एक अनुसूचित जाति

जाति और पूर्व बी. डी. सी. सदस्य हैं।

2. .....

3. वह 01.09.2017 पर, लगभग 2.45 या 3 बजे दोपहर, विरोधी पक्ष नं। 1 रामवीर उपाध्याय आए।

गाँव-बिसाना अपने वाहनों के काफिले के साथ और उसके बाद

यह देखकर कि शिकायतकर्ता ने अपनी जाति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और

रास्ते में, उन्होंने कहा कि साले धोबी आप अपना भूल गए थे

स्थिति और आपके पंख बाहर आ गए हैं और आप दौड़ रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट तक। आपको उस स्थान पर भेजा जाएगा जहाँ से

आप कभी वापस नहीं आएंगे। जब शिकायतकर्ता ने कहा कि आप

मैं आपका काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, रामवीर

उपाध्याय ने अपने सहयोगियों से कहा कि वे उसे खींचते हैं और अंदर डाल देते हैं

चेहरे से पहचाने जा सकने वाले अज्ञात व्यक्तियों को घसीटा गया शिकायतकर्ता ने हत्या करने के इरादे से अपहरण करने की कोशिश की

लेकिन सड़क पर लोगों के इकट्ठा होने के कारण और

अन्नू आर/ओ जिंदपट्टी, बिसाना, प्रदीप आर/द्वारा दिखाया गया प्रतिरोध

ओ गंभीरपट्टी, बिसाना, वे सफल नहीं हुए और चले गए

अपने वाहनों में हाथरस की ओर। इस घटना के कारण

गाँव में भय और आतंक का माहौल बना दिया गया।

" }

13. उपरोक्त आवेदन के अनुसार, एक मामला दर्ज किया गया था

और क्रमांकित शिकायत मामला No.19/2018। प्रत्यर्थी संख्या 2 की जाँच Cr.P.C की धारा 202 के तहत की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता होने के नाते धारा के तहत दर्ज किया गया था।

200 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, हाथरस के न्यायालय में। रुकमल के एक पुत्र अन्नू और धनीराम गुप्ता के एक पुत्र योगेश गुप्ता के बयान भी उसी अदालत में धारा 200 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए थे।

14. इस बीच, रिट याचिका (सिविल) No.699/2016 में शीर्षक

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए एक आदेश पारित किया कि पूर्व विधायकों सहित विधायकों के खिलाफ 4122 मामले लंबित थे, जिनमें से 2324 मामले थे

वे वर्तमान विधायक के खिलाफ थे। विद्वान रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर. द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत एक चार्ट।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

न्यायमित्र ने दिखाया कि वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ आजीवन कारावास से जुड़े 430 मामले लंबित थे। 15. मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए, इस न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय से पूर्व और पूर्व से जुड़े आपराधिक मामलों को सौंपने/आवंटित करने का अनुरोध किया।

प्रत्येक उच्च न्यायालय जितने सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों को उपयुक्त और समीचीन समझे, उनके वर्तमान विधायक। उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, और इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, शिकायत मामला संख्या 19/2018 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4, हाथरस में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 एक विधायक/पूर्व विधायक था।

16. प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि शिकायत मामले No.19/2018 ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया, अतिरिक्त

जिला और सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 4, हाथरस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लेते हुए और याचिकाकर्ताओं को समन जारी करते हुए 17 सितंबर 2021 को एक आदेश पारित किया।

17. 17 सितंबर 2021 के उपरोक्त आदेश से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया।

उच्च न्यायालय ने प्रार्थना की कि शिकायत मामला संख्या 19/2018 में पूरी कार्यवाही के साथ-साथ 17 सितंबर 2021 के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया जाए।

18. 5 जनवरी 2022 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया और आगे रोक लगा दी।

अदालत में लंबित शिकायत मामला संख्या 19/2018 में कार्यवाही अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, हाथरस।

20. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने अतिरिक्त जिले के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। और सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 4, हाथरस, शिकायत मामला संख्या 19/2018 में अपराध का संज्ञान लेंगे।

21. अत्याचार अधिनियम की धारा 14 पर जोर देते हुए श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि केवल अत्याचार अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ही समन जारी करने के लिए आदेश पारित करने में सक्षम हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आदेश

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, हाथरस के अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण उच्च न्यायालय को [2022] 3 एस. सी. आर. में इसे रद्द कर देना चाहिए था।

आई. डी. 2 की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री रंजीत कुमार ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत मामला आई. डी. 1/2018 स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न हुआ और अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग था।

22. शांताबेन भूराभाई भूरिया बनाम। आनंद अताभाई चौधरी और Ors.[1], श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा उद्धृत, विद्वान वरिष्ठ

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश हुए वकील ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल विशेष न्यायालय ही अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकता है और अभिनिर्धारित कियाः

23. इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत मुद्दा/प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद मामला विद्वत विशेष न्यायालय को सौंपा जाता है, क्या पूरा आपराधिक है।

यह कहा जा सकता है कि अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को दूषित कर दिया गया था।

2016 के अधिनियम 1 द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 26.1.2016 जोड़ा गया था?

24. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के विधायी इतिहास, विशेष रूप से, संशोधन से पहले और संशोधन के बाद की धारा 14 पर विचार करने की आवश्यकता है। धारा 14 जैसा कि संशोधन से पहले और संशोधन के बाद था, निम्नानुसार हैः

बशर्ते कि जिन जिलों में इस अधिनियम के तहत कम मामले दर्ज किए गए हैं, वहां राज्य सरकार

द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, ऐसे जिलों के लिए निर्दिष्ट, सत्र न्यायालय अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय होगा

इस अधिनियम के तहत;

बशर्ते कि इस प्रकार स्थापित न्यायालय या

निर्दिष्ट को सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी

इस अधिनियम के तहत अपराध।

******

28. उपरोक्त विधायी इतिहास को ध्यान में रखते हुए जो

अत्याचार 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 974 ए. एम. वी. ई. आर. उपाध्याय और ए. एन. आर. की धारा 14 में प्रावधान शामिल किया गया।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

अधिनियम, जिसके द्वारा विशेष न्यायालय ने भी इस प्रकार स्थापित किया या त्वरित विचारण के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट

अत्याचार अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति, यह मुद्दा/प्रश्न उठाया गया कि क्या ऐसे मामले में जहां अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए,

विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद मामला सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय को सौंपा जाता है और विद्वत द्वारा तुरंत संज्ञान नहीं लिया जाता है। विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय, चाहे पूरा आपराधिक हो

अत्याचार अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही

यह कहा जा सकता है कि इसे दूषित किया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में कहा है? 29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207,209 और 193 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने और धारा 14 में परन्तुक डालने पर

2016 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा अत्याचार अधिनियम के डब्ल्यू. ई. एफ. 26.1.2016, हमारी राय है कि उपरोक्त आधार पर संपूर्ण

आपराधिक कार्यवाही को दूषित नहीं कहा जा सकता है।

अत्याचार अधिनियम की धारा 14 का दूसरा प्रावधान, जिसे 2016 के अधिनियम 1 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, डब्ल्यू. ई. एफ. 26.1.2016 के लिए इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है।

त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने का उद्देश्य भी होगा - अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति। धारा 14 में परंतुक डालने के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह इसमें नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193,207 और 209 के साथ संघर्ष। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है और

इसके बाद अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमे के लिए मामले को विशेष अदालत को सौंपना। केवल इसलिए कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया है और इसके बाद त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से स्थापित विशेष न्यायालय को मुकदमा/मामला सौंप दिया गया है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ. आई. आर. और आरोप पत्र आदि सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही दूषित है और उपरोक्त आधार पर धाराओं के तहत अपराधों के लिए पूरी आपराधिक कार्यवाही की जाती है।

452 , 323 , 325 , 504 , 506 (2) और दंड संहिता, 1860 की धारा 114 और अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत रद्द कर दिया और अलग कर दिया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सम्मिलन [2022] 3 एस. सी. आर. को देखते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान का और उस उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए, जिसके लिए अत्याचार अधिनियम की धारा 14 का प्रावधान जोड़ा गया है, अर्थात

त्वरित सुनवाई और ऊपर बताए गए उद्देश्य और उद्देश्य का प्रावधान करते हुए, यह सलाह दी जाती है कि त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह से स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय सीधे संज्ञान ले।

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध। लेकिन उसी समय, जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल इस आधार पर कि

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान सीधे अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाता है, पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित नहीं कहा जा सकता है और इसे केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि धारा 14 में दूसरा परंतुक डालने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है जो विशेष न्यायालय को भी अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है और उसके बाद मामला विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है।

30. उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में, उपयोग किए गए शब्द

धारा 14 के दूसरे परंतुक पर विचार करना आवश्यक है। सूक्ष्मता से। उपयोग किए गए शब्द हैं "इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय को इस न्यायालय के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी"। "केवल" शब्द स्पष्ट रूप से गायब है। यदि विधायिका के इरादे को प्रदान करना होगा

विशेष न्यायालय के साथ विशेष रूप से अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की अधिकारिता, उस मामले में, शब्द होना चाहिए था "कि इस तरह से स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय को केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी"। इसलिए, केवल इसलिए कि अब विशेष न्यायालय को भी अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए और अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं और वर्तमान मामले में केवल इसलिए कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है और उसके बाद मामला विद्वान विशेष न्यायालय को सौंप दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही दूषित कर दी गई है और उन्हें रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है। रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

23. शांताबेन भूराभाई भूरिया (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, श्री रंजीत कुमार का तर्क है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 4 हाथरस को संज्ञान लेने या समन जारी करने/आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

24. याचिकाकर्ता नंबर 1 और देवेंद्र अग्रवाल के बीच स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। हालाँकि, शिकायत मामला सं. 19/2018

25. प्रतिवादी संख्या 2 देवेंद्र अग्रवाल का कर्मचारी होने के नाते, यह संभव है कि शिकायत मामला संख्या 19/2018 याचिकाकर्ता संख्या 1 के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हो। हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, शिकायत मामले में आरोप अत्याचार अधिनियम की धारा 3 के तहत एक अपराध बनाते हैं, इसलिए इन आरोपों को खत्म करना उचित नहीं होगा। शुरुआत में शिकायत, विशेष रूप से तब जब Cr.P.C की धारा 200 के तहत अदालत में बयान दर्ज किए जाते हैं। 2010 की पूर्व शिकायत No.17 को बंद करने के बाद, शिकायत में कथित कृत्यों द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिशोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शुरू में ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से अन्याय हो सकता है।

26. Cr.P.C की धारा 482 प्रदान करती है:

" 482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना। - इस संहिता की किसी भी बात को ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो आवश्यक हो।

इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय का अंत।

27. भले ही, आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है, लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग असाधारण मामलों में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाना है

पूछने वाला।

28. मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम। यू. पी. 2 का राज्य। , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि Cr.P.C की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र होना चाहिए

इसका प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ और केवल तभी किया जाता है जब इस तरह के अभ्यास को अनुभाग में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है।

29. असाधारण मामलों में, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय धारा के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

482 आपराधिक कार्यवाही को रद्द करें। हालाँकि, हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती थी, या स्पष्ट रूप से तुच्छ, कष्टप्रद या दमनकारी थी, जैसा कि इस न्यायालय ने श्रीमती धनलक्ष्मी बनाम में अभिनिर्धारित किया था। आर. प्रसन्ना कुमार 3.

30. यह तथ्य कि शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई हो सकती है, अपराधी को रद्द करने के लिए अपने आप में आधार नहीं है।

कार्यवाही, जैसा कि भगवती, सी. जे. ने शिवानंदन पासवान बनाम में देखा है। बिहार राज्य और अन्य। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि एक आपराधिक अभियोजन, यदि अन्यथा न्यायोचित और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, पहले सूचना देने वाले या शिकायतकर्ता के दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण दूषित नहीं होता है। यद्यपि सी. जे. भगवती का दृष्टिकोण श्योनंदन पासवान (ऊपर) में अल्पमत का था, लेकिन इस निष्कर्ष के संबंध में कोई मतभेद नहीं था। उद्धृत करने के लिए

कृष्ण अय्यर, जे., पंजाब राज्य बनाम। गुरदियाल सिंह 3 ", यदि इसका उपयोग किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो सक्रियण या उत्प्रेरण।

शक्ति

द्वेष से वैध नहीं है "।

31. दिल्ली नगर निगम बनाम। राम किशन रोहतगी और अन्य "। इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः

" 6. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान संहिता की धारा 482 पुरानी संहिता की धारा 561-ए की मौखिक प्रति है। यह प्रावधान अकेले उच्च न्यायालय को उन मामलों में एक अलग और स्वतंत्र शक्ति प्रदान करता है जहां गंभीर और पर्याप्त अन्याय किया गया है या जहां अदालत की प्रक्रिया का गंभीर रूप से दुरुपयोग किया गया है। यह केवल एक पुनरीक्षण शक्ति नहीं है जिसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ किया जाता है। यह इस धारा के तहत था

2 (2008) 8 एससीसी 781

3 ए. आई. आर 1990 एस. सी. 494

4 (1987) 1 एससीसी 288

5 (1980) 2 एस. सी. सी. 471

6 (1983) 1 एस. सी. सी. 1 ए. एम. वी. ई. आर. उपाध्याय और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

कि पुरानी संहिता में, उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर देते थे या उनके खिलाफ टिप्पणियों के लिए अनावश्यक रूप से हटा देते थे

गवाह या अन्य व्यक्ति या अधीनस्थ अदालतें। इस प्रकार, धारा 561-ए (जो अब धारा है) का दायरा, दायरा और सीमा

482) यह धारा 397 के प्रावधानों के तहत वर्तमान संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों से काफी अलग है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होंगे। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वर्तमान संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां

इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब वादी के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध न हो और न कि जहां क़ानून द्वारा कोई विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया हो। इसके अलावा, शक्ति असाधारण होने के कारण इसका प्रयोग संयम से करना पड़ता है। यदि इन विचारों को ध्यान में रखा जाए, तो वर्तमान संहिता की धारा 482 और 397 (2) के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

7. धारा 482 के तहत शक्ति की सीमाओं को इस न्यायालय द्वारा राज कपूर बनाम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। राज्य [(1980) 1 एससीसी 43: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 72] जहाँ कृष्ण अय्यर, जे. ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः [एससीसी पैरा 10, पी। 47 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 76]

" फिर भी, एक सामान्य सिद्धांत कानून की इस शाखा में व्याप्त है जब एक विशिष्ट प्रावधान किया जाता हैः बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर अंतर्निहित शक्ति का आसान सहारा लेना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकार क्षेत्र का अभाव है, लेकिन उस अंतर्निहित शक्ति को विशिष्ट शक्ति के लिए अलग किए गए क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।

वही कोड "।

एक अन्य महत्वपूर्ण विचार जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि धारा 482 के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का संबंध है। इस मामले को श्रीमती नागावा बनाम में अधिक विस्तार से बताया गया था। वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी [(1976) 3 एससीसी 736: 1976 एससीसी (सीआरआई)

507 : 1976 एस. सी. आर. 123: 1976 सी. आर. आई. एल. जे. 1533] जहाँ वर्तमान संहिता की धारा 202 और 204 के दायरे पर विचार किया गया था और दिशानिर्देशों और आधारों को निर्धारित करते हुए कि जिन आधारों पर कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः [एससीसी पैरा 5, पी। 741 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) पीपी.

" इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का मजिस्ट्रेट का आदेश

रद्द किया जा सकता है या अलग रखा जा सकता हैः

(1) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप या उसी के समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर लिए जाने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं है या शिकायत किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है जो अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया गया है।

अभियुक्त;

(2) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई विवेकपूर्ण न हो।

व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(3) जहाँ जारी करने की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार मनमाना और मनमाना है

या तो बिना किसी सबूत के या उन सामग्रियों पर जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य; और

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, जैसे कि मंजूरी का अभाव, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत का अभाव और इसी तरह।

हमारे द्वारा उल्लिखित मामले विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं और आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जहां उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

9. इस न्यायालय के बाद के फैसले में भी यही विचार लिया गया था।

शारदा प्रसाद सिन्हा बनाम। बिहार राज्य [(1977) 1 एससीसी 505: 1977 एससीसी (सीआरआई) 132: (1977) 2 एससीआर 357: 1977 सी. आर. आई. एल. जे. 1146] जहाँ न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि

निम्नलिखित हैः [एस. सी. सी पैरा 2, पी. 506 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 133]

" अब यह तय किया गया कानून है कि जहां शिकायत या आरोप पत्र में दिए गए आरोप कोई अपराध नहीं हैं, वह अपने अंतर्निहित का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के लिए सक्षम है।

मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र

अपराध का संज्ञान।

10. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि प्रारंभिक चरण में किसी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही केवल तभी रद्द की जा सकती है जब रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

शिकायत या उसके साथ के कागजात, कोई अपराध नहीं है। दूसरे शब्दों में, परीक्षण यह है कि आरोपों और शिकायत को कुछ भी जोड़े या घटाए बिना, यदि कोई अपराध नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय वर्तमान संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगा।

32. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। 'गौरीशेट्टी महेश', उच्च न्यायालय, 'आईडी1' की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सामान्य रूप से इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि क्या साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या क्या सबूत विश्वसनीय हैं या नहीं।

उचित संभावना है कि आरोप कायम नहीं रहेगा।

33. परमजीत बत्रा बनाम। उत्तराखंड राज्य, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 12. संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को सतर्क रहना होगा। इस शक्ति का उपयोग संयम से और केवल रोकथाम के उद्देश्य से किया जाना है।

न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्यथा। 14. शिकायत आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह उसमें कथित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं

या उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। .....

34. माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम। संभाजीराव

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ 'चंद्रोजीराव आंग्रे' ने संक्षेप में कहा

धारा के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में कानून

82 Cr.P.C का। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है कि जब प्रारंभिक चरण में एक अभियोजन को रद्द करने के लिए कहा जाता है, तो अदालत द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या अनियंत्रित आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं। यह न्यायालय के लिए भी है कि वह किसी विशेष मामले में दिखाई देने वाली किसी भी विशेष विशेषता को ध्यान में रखे और इस बात पर विचार करे कि क्या अभियोजन की अनुमति देना समीचीन और न्याय के हित में है। जारी रखें। यह इस आधार पर है कि न्यायालय का उपयोग किसी भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और जहां न्यायालय की राय में अंतिम दोषसिद्धि की संभावनाएँ धूमिल हैं और,

(2010) 6 एस. सी. सी. 588

(2013) 11 एस. सी. सी. 673(1988) 1 एससीसी 692 [2022] 3 एस. सी. आर.

इसलिए, अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है।

एक आपराधिक अभियोजन जारी रखने के लिए, अदालत ले सकती है

एक मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी रद्द कर देते हैं

कार्यवाही भले ही यह प्रारंभिक चरण में हो।

35. इंदर मोहन गोस्वामी बनाम। उत्तरांचल राज्य ", यह

न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 46. अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन

उत्पीड़न या मांग के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है

निजी प्रतिशोध या दबाव बनाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ

अभियुक्त। उपरोक्त मामलों के विश्लेषण पर, हम

एक अनम्य नियम निर्धारित करने के लिए जो नियंत्रित करेगा अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग। की अंतर्निहित अधिकारिता

यद्यपि व्यापक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों ने

संयम से, सावधानी से और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाए और

केवल तभी जब इसे विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है

तय की गई कानूनी स्थिति का दृष्टिकोण, विवादित निर्णय इसे कायम नहीं रखा जा सकता '।

36. कपिल अग्रवाल और ओआरएस में। वी. संजय शर्मा और अन्य ",

इस न्यायालय ने कहा कि आई. डी. 1 की धारा 482 को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियारों में बदलने की अनुमति नहीं है।

37. हरियाणा राज्य और अन्य में। वी. भजन लाल और Ors.[1]2

9

इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 102. विभिन्न की व्याख्या की पृष्ठभूमि में

अध्याय XIV के तहत संहिता के प्रासंगिक प्रावधान और इस न्यायालय द्वारा एक श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत

असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णय अनुच्छेद 226 या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के तहत

उस संहिता का जिसे हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है,

जिसे रोकने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्यथा सुरक्षा के लिए

1 0 (2007) 12 एससीसी 1 1 1 (2021) 5 एससीसी 524

12 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335 ए. एम. वी. ई. आर. उपाध्याय और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

न्याय के उद्देश्य, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित करना संभव नहीं हो सकता है

लचीले दिशानिर्देश या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति हो।

व्यायाम करना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप

या शिकायत, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाता है, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और

एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक ठोस अपराध का खुलासा नहीं करती है, जो पुलिस द्वारा की गई जांच को उचित ठहराती है।

संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर संहिता की धारा 156 (1) के तहत अधिकारी।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध हैं। अपराध, एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है जैसा कि धारा के तहत विचार किया गया है।

155 (2) कोड से।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार। (6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से निपटाया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की जाती है [2022] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ और निजी और व्यक्तिगत कारणों से उसका विरोध करने की दृष्टि से

गुस्सा करते हैं।

103. हम इस प्रभाव पर भी सावधानी बरतते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

संयम और सावधानी के साथ और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि अदालत को शुरू करने में उचित नहीं ठहराया जाएगा

विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में पूछताछ पर या अन्यथा एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां प्रदान नहीं की जाती हैं।

उसके अनुसार कार्य करने के लिए न्यायालय पर एक मनमाना अधिकार क्षेत्र

सनक या कैप्रिस।

37. न्याय के अंत को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है यदि न्यायालय का मूल्यवान समय एक अंतर्वर्ती स्तर पर धारा 482 के तहत याचिकाओं पर विचार करने के बजाय अपीलों की सुनवाई पर खर्च किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः न्याय की विफलता हो सकती है जैसा कि हमीदा v में आयोजित किया गया है। राशिद @रशीद और अन्य 1 3.

39. हमारी सुविचारित राय में आपराधिक कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है।

शुरुआत में Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके. केवल इसलिए कि शिकायत एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज की गई है। यह संभव है कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर झूठी शिकायत दर्ज की गई हो। हालाँकि, इस तरह की संभावना आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराएगी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पहले के आपराधिक मामले को बंद करने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से कथित कृत्यों द्वारा प्रतिशोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिकायत में लगाए गए आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध हैं। आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला मुकदमे में करना होगा। आई. डी. 1. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच नहीं करता है, सिवाय असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों के जहां यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। शिकायत मामला सं. 19/2018 ऐसा मामला नहीं है जिसे आगे की सुनवाई के बिना शुरुआत में ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने सही कहा

Cr.P.C की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया।

40. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। खास बात तदनुसार, अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

रामवीर उपाध्याय और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

41. याचिकाकर्ता ए द्वारा दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर लाया गया है जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 फेफड़ों के कैंसर का रोगी है।

उन्नत चरण। वह सख्त दवा ले रहे हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय याचिकाकर्ता संख्या 1 की व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट देने पर विचार कर सकता है, यदि ऐसा आवेदन विचारण न्यायालय में किया जाता है।

निधि जैन